न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 142 / 18 तारीख रजू:– 18.12.18

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. गोरधनी पत्नि हरज्ञान जाति गूर्जर निवासी बाढ महासिंहपुरा तहसील टोडाभीम।

वादीया

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी

दावा वावत इस्तकारारहक एवं इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थिति:– श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादीया)

पैरोकार सरकार (प्रतिवादी)

निर्णय **दिनांक:– 11.09.19**

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बाढ महासिंहपुरा स्थित आराजी हाल ख0न0 459 / 0.38, 460 / 0.23, 461 / 0.24, 462 / 0.37, 463 / 0.11, 464 / 0.11, 465 / 0.55, 466 / 0.29, 467 / 0.01, 468 / 0.58, 469 / 0.57, 545 / 0.10, 557 / 0.25, कुल किता 13 कुल रकवा 3.79 के साबिक ख0न0 143 रकवा 15 बीघा है। उक्त भूमि मे से वादीया ने पूर्व खातेदार दिलसुख पुत्र हरमुख जाति गूर्जर से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.9.1978 को हिस्सा 1/8 क्रय किया है विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण संख्या 119 खोला जाकर तस्दीक किया गया है। तत्कालीन जमाबन्दी मे अमल भी हो चुका था। लेकिन उस समय भू–प्रबन्ध का कार्य तहसील टोडाभीम मे चल रहा था। भू–प्रबन्ध विभाग ने भूलवश क्लेरिकल मिस्टेक से गोरधनी के पति का नाम हरज्ञान के स्थान पर गयाजीत सिंह दर्ज कर दिया जो अशुद्व दर्ज किया है। वादी की अन्य खातेदारी की भूमि मे भी पति का नाम हरज्ञान सिंह लिखा हुआ है। इस गलत नाम की जानकारी नही हुई थी। जानकारी होने पर दिनांक 14.12.18 को तहसीलदार टोडाभीम से निवेदन किया कि रिकार्ड जमाबन्दी मे मेरे पति का नाम शुद्व कर दो, इस पर उन्होने कहा कि एस.डी.ओ. कोर्ट मे दावा पेश करो तभी तुम्हारे पति का नाम दुरूस्त हो सकता है। इसलिए यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी बाबवत इस्तकारारहक व इन्द्राज दुरूस्ती का डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 459 / 0.38, 460 / 0.23, 461 / 0.24, 462 / 0.37, 463 / 0.11, 464 / 0.11, 465 / 0.55, 466 / 0.29, 467 / 0.01, 468 / 0.58, 469 / 0.57, 545 / 0.10, 557 / 0.25, कुल किता 13 कुल रकवा 3.79 के साबिक ख0न0 143 रकवा 15 बीघा ग्राम बाढ महासिंहपुरा मे दर्ज गोरधनी पत्नि गयाजीज सिंह हिस्सा 1/8 के स्थान पर गोरधनी पत्नि हरज्ञान सिंह दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जबाब प्रस्तुत किया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण संख्या 119 द्वारा अंकित किया गया है भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भूलवश गलत नाम अंकित किया है तो वादी को दौराने सेटलमेन्ट लगान वितरण करते समय अपना उज्र दर्ज करवाना चाहिए था। अतः दावा खारिज योग्य है।

वादीया वकील ने सीधे बहस करते हुए कथन किया कि वादीया के पति का नाम हरज्ञान सिंह है ग्राम बाढमहासिंहपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 23, 51 मे भी गोरधनी पत्नि हरज्ञानसिह ही दर्ज है जबकि खाता संख्या 103 की आराजीयात ख0न0 459/0.38, 460/0.23, 461/0.24, 462/0.37, 463/0.11, 464/0.11, 465/0.55, 466/0.29, 467/0.01, 468/0.58, 469/0.57, 545/0.10, 557/0.25, कुल किता 13 कुल रकवा 3.79 है0 मे गोरधनी धर्मपत्नि गयाजीत सिह कर दिया है जो गलत है। साबिक ख0न0 143/1/4 के पूर्व खातेदार दिलसुख पुत्र हरमुख जाति गूर्जर ने अपना 1/2 हिस्सा गारेधनी धर्मपत्नि हरज्ञान सिह हिस्सा 1/4, शिवराम सिंह पुत्र गयाजीत सिह हिस्सा 1/4, बलवीर पुत्र रामहंस हिस्सा 1/2 को विक्रय किया जिसका नामांतकरण संख्या 119 स्वीकार हुआ है। भू–प्रबन्ध विभाग ने आधार वर्ष सम्वत 2052 की जमाबन्दी तैयार करते समय खाता संख्या 7 मे वर्णित आराजीयात के खाते मे वादीया के पति का नाम गयाजीत सिंह दर्ज कर दिया जो कि गलत है। वादीया के पति का वास्तविक नाम हरज्ञान सिंह दर्ज फरमाया जावे। दौराने बहस वादीया वकील ने नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 ख0न0 143 मिन. की पेश की है जिसमे वादपत्र मे वर्णित ख0न0 बने है।

वादीया वकील की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया ग्राम बाढमहासिंहपुरा के नामांतकरण संख्या 119 मे विक्रीत भूमि ख0न0 143/1/4 मे केतागण के दर्ज नाम मे गोरधनी पत्नि हरज्ञान सिंह दर्ज है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जमाबन्दी तैयार करते समय आधार वर्ष जमाबन्दी सम्वत 2052 के खाता सं0 7 मे गोरधनी धर्मपत्नि गयाजीत सिह दर्ज कर दिया है। जमाबन्दी सम्वत 2070–73 की खाता संख्या 103 मे गोरधनी धर्म पत्नि गयाजीतसिंह दर्ज है। तथा खाता संख्या 23, 32, 51 मे गोरधनी धर्मपत्नि हरज्ञान सिंह दर्ज है। उक्त विवेचन के आधार पर वादीया के पति का नाम हरज्ञान सिंह है।

अतः ग्राम बाढमहासिंहपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2070–73 की खाता संख्या 103 मे वर्णित आराजीयात ख0न0 459/0.38, 460/0.23, 461/0.24, 462/0.37, 463/0.11, 464/0.11, 465/0.55, 466/0.29, 467/0.01, 468/0.58, 469/0.57, 545/0.10, 557/0.25, कुल किता 13 कुल रकवा 3.79 है0 दर्ज वादीया गोरधनी के पति का नाम गयाजीत के स्थान पर हरज्ञान सिंह किया जावे। तहसीलदार टोडाभीम को निर्णय की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

11/9/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)